

## उत्तराखंड के समान नागरिकी संहिता वधियक की मुख्य वशिषताएँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य द्वारा नयिकृत पैनल ने अपनी अंतमि रपिर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उत्तराखंड राज्य वधिानमंडल ने समान नागरिकी संहिता ((UCC) वधियक पारति कयिा दयिा ।

- आज़ादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है ।

### नोट:

उत्तराखंड के नकशेकदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात ने UCC का नरिमाण शुरु करने के लयि समतियिाँ नयिकृत की हैं ।

### मुख्य बदि:

- वधियक में आदविसी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखते हुए, सभी नागरिकों के लयि, उनकी धार्मकि संबद्धता की परवाह कयिा बनािा, वविाह, तलाक, संपत्ति की वरिसत और सहवास पर एक समान कानून का प्रस्ताव है ।
- संवधिान के अनुच्छेद 44 में वर्णति है क र्ज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लयि एक समान नागरिकी संहतिा सुनश्चिति करने का प्रयास करेगा ।
  - यह प्रावधान राज्ज की नीति के नदिशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है, हालाँकि लागू करने योग्ग नहीं है लेकनि देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाता है ।
- वधियक का उद्देश्ज लवि-इन रलेशनशिपि को पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर उनहें वनियिमति करना है ।
- यद लवि-इन रलेशनशिपि में रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनहें नोटसि दयिा जायगा जसिके बाद उनके खलिाफ आपराधकि मुकदमा शुरु कयिा जा सकता है ।
- धारा 4 के अनुसार, "वविाह के समय कसिी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवति न हो तभी वह वविाह मान्ग होता है", इस प्रकार यह धारा द्वविाह या बहुवविाह पर रोक लगती है ।
- तलाक के संबंध में पुरुषों और महलिाओं को समान अधकिार दयिा गए हैं ।
- धारा 28 तलाक की कार्गवाही शुरु करने पर रोक लगाती है जब तक कशिादी को एक वर्ष न हो गया हो ।
- हालाँकि एक अपवाद बनाया जा सकता है यद यिाचकिाकर्त्ता को "असाधारण कठनिाई" का सामना करना पड़ा हो या यद प्रतविादी ने "असाधारण भ्रष्टता" का प्रदर्शन कयिा हो ।
- वविाह और तलाक को नयित्तरति करने वाली मौजूदा मुस्लिमि प्रसनल लॉ प्रथाएँ, जैसे- नकिाह हलाला, इद्दत एवं तीन तलाक को स्पष्ट रूप से नाम दयिा बनािा वधियक के तहत अपराध घोषति कर दयिा गया है ।
- यह वधियक सभी वर्गों के बेटों और बेटयिों के लयि समान संपत्ति अधकिारों का वसितार करता है ।
- वधियक LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखता है और केवल वषिमलैंगकि संबंधों पर लागू होता है ।